न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
33 / 2012	08.08.2012	20/3/2026

लैण्ड होल्डर तहसीलदार, गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. श्योदान पुत्र रामा, माली निवासी वाटर वर्क्स पम्प हाउस के समाने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
2. छोटे पुत्र रामा, माली निवासी वाटर वर्क्स पम्प हाउस के समाने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
3. कैलाश पुत्र गिर्राज, माली निवासी वाटर वर्क्स पम्प हाउस के समाने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
4. पप्पू पुत्र गिर्राज, माली निवासी वाटर वर्क्स पम्प हाउस के समाने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
5. रामकिशन पुत्र गिर्राज, माली निवासी वाटर वर्क्स पम्प हाउस के समाने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
6. गोपाल पुत्र गिर्राज, माली निवासी वाटर वर्क्स पम्प हाउस के समाने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
7. घनश्याम पुत्र गिर्राज, माली निवासी वाटर वर्क्स पम्प हाउस के समाने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
8. केदार पुत्र गिर्राज, माली निवासी वाटर वर्क्स पम्प हाउस के समाने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
9. रामकोरी बेबा गिर्राज, माली निवासी वाटर वर्क्स पम्प हाउस के समाने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा तहत धारा 177 आर.टी. एक्ट

उपस्थित :— राजकीय पैरोकार।

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम गंगापुर स्थित भूमि ख0न0 405 रकबा 0.42 है0 एवं ख0न0 412 रकबा 0.27 है0 मुताबिक जमाबंदी संवत 2068—2071 मे प्रतिवादीगण की खातेदारी मे दर्ज है। मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट उक्त आराजीयात मे प्रतिवादीगण ने बिना किसी सक्षम स्वीकृति के आवासीय भूखंड काट दिये है एवं भूखंडो पर मकानों का निर्माण कर लिया है। ग्राम गंगापुर स्थित भूमि ख0न0 405 रकबा 0.42 है0 एवं ख0न0 412 रकबा 0.27 है0 [illegible] कृषि भूमि है, जिसमे प्रतिवादीगण द्वारा बिना कोई भू संपरिवर्तन के कृषि भूमि पर भूखंड काटकर मकानो का निर्माण करने के कारण यह कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरीत है। इस कारण यह भूमि सिवायचक घोषित किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.16 17:07:23 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन है कि ग्राम गंगापुर स्थित भूमि ख0न0 405 रकबा 0.42 है0 एवं ख0न0 412 रकबा 0.27 है0 को कब्जा राज मे लिया जावे एवं प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल किया जाकर भूमि को सिवायचक किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादीगण ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि विवादित भूमि कृषि भूमि के काम मे आ रही है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार कोई प्लाटिंग नही की गई है। ना ही किसी अन्य प्रयोजन हेतु परिवर्तन किया गया है। विवादित भूमि अभी काश्त हो रही है। पटवारी रिपोर्ट बंदयांतिपूर्वक प्रार्थीगण की भूमि पर से कब्जा हटाने की नियत से प्रस्तुत की गई है, भूमि पर किसी प्रकार की कोई प्लाटिंग नही की गई है। पटवारी रिपोर्ट प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर भी नही है। जिससे यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर जबाबदारान के विरूद्ध झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2068 से 2071 खाता संख्या 178 ग्राम गंगापुर, मूल परिवाद द्वारा प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा प्रस्तुत किये है।

बहस राजकीय पेरोकार सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपनी बहस मे कहा है कि खातेदारी भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के भूखंड काटकर मकानात का निर्माण कार्य किया गया है। इसलिए भूमि को सिवायचक किया जावे।बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि ग्राम गंगापुर स्थित भूमि ख0न0 405 रकबा 0.42 है0 एवं ख0न0 412 रकबा 0.27 है0 मे बिना सक्षम स्वीकृति के भूखंड काटे गये है तथा आबादी हेतु मकान वगैरा का निर्माण कार्य किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अवैधानिक है फलस्वरूप भूमि ग्राम गंगापुर स्थित भूमि ख0न0 405 रकबा 0.42 है0 एवं ख0न0 412 रकबा 0.27 है0 को सिवायचक किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम गंगापुर स्थित भूमि ख0न0 405 रकबा 0.42 है0 एवं ख0न0 412 रकबा 0.27 है0 को सिवायचक किये जाने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को पत्र जारी किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.3.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.16 17:37:23 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
अति० जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत   उप जिलाकलक्टर   मुकाम   गंगापुर सिटी
इजलास   बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

लैण्ड होल्डर तहसीलदार, गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. श्योदान पुत्र रामा, माली निवासी वाटर वर्क्स पम्प हाउस के समाने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
2. छोटे पुत्र रामा, माली निवासी वाटर वर्क्स पम्प हाउस के समाने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
3. कैलाश पुत्र गिर्राज, माली निवासी वाटर वर्क्स पम्प हाउस के समाने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
4. पप्पू पुत्र गिर्राज, माली निवासी वाटर वर्क्स पम्प हाउस के समाने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
5. रामकिशन पुत्र गिर्राज, माली निवासी वाटर वर्क्स पम्प हाउस के समाने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
6. गोपाल पुत्र गिर्राज, माली निवासी वाटर वर्क्स पम्प हाउस के समाने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
7. घनश्याम पुत्र गिर्राज, माली निवासी वाटर वर्क्स पम्प हाउस के समाने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
8. केदार पुत्र गिर्राज, माली निवासी वाटर वर्क्स पम्प हाउस के समाने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
9. रामकोरी बेबा गिर्राज, माली निवासी वाटर वर्क्स पम्प हाउस के समाने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा तहत धारा 177 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नं. —33/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी राजकीय पैरोकार मिनजानिब मुद्दई .... मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम गंगापुर स्थित भूमि ख0न0 405 रकबा 0.42 है0 एवं ख0न0 412 रकबा 0.27 है0 को सिवायचक किये जाने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को पत्र जारी किया जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20 [illegible] को जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.16 17:07:23 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)